


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रोहिताश बनाम गीता 10/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00033)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.03.20	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई, अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रकरण में पुनः रूक रूककर कई बार आवाजे दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2016 से रेस्पोजेन्ट की तलबी में विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा रेस्पोजेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश भी नहीं किये गये और न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं है एवं अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (के०सी०वर्मा) संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त जयपुर। जयपुर </p>	